



# महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)

वेदविद्या मार्ग, चिंतामण गणेश, पोस्ट जवासिया, उज्जैन -456006 (म.प्र.)

**Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan**

(Ministry of HRD, Govt. of India)

Vedavidya Marg, Chintaman Ganesh, P.O. Jawasiya, UJJAIN- 456006 (M.P.)

पत्र सं.- 22-1/2018(शै.)/मसारावेविप्र/

दिनांक 10-09-2018

## गुरु-शिष्य परम्परा योजना इकाइयों में वेद-गुरु के लिए किए गए साक्षात्कार में चयनित अभ्यर्थियों की अधिसूचना (पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित)

1. महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान की शासी परिषद् द्वारा म.सां.रा.वे.वि.प्र. सचिव को सौंपी गई शक्ति के अनुसरण में वेदों की मौखिक परम्परा को अक्षुण्ण बनाये रखने की योजना के अन्तर्गत महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान में रिक्त स्थानों में वेद-गुरु के नियोजन के लिए गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयों (पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित) में वेद गुरुओं के रूप में अस्थायी अध्यापन व्यवस्था हेतु दिनांक 13 एवं 14 अगस्त, 2018 को म.सां.रा.वे.वि.प्र. में सम्परीक्षण आयोजित कर वेद गुरुओं का चयन किया गया था। चयनित वेद-गुरु के रूप में वेदों की अध्यापन व्यवस्था पूरी तरह अस्थायी है और यह न किसी पद-आधारित नियुक्ति का आश्वासन, न तो पद है और न ही पद-आधारित नियुक्ति है।
2. सम्परीक्षण में चयनित अभ्यर्थियों की सूची निम्नानुसार है :-

### शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा [ चयन सूची ]

क्र.	नाम	वेद एवं शाखा	स्थान एवं दूरभाष नं.
1	श्री किरण अनिल पाठक	शु.यजु.माध्य. शा.	पुणे - महाराष्ट्र मो.न. 8975173349
2	श्री मृत्युंजय त्रिपाठी	शु.यजु.माध्य. शा.	वाराणसी - उ.प्र. मो.न. 9450119601, 8953834289
3	श्री निखिल नितिन भालेराव	शु.यजु.माध्य. शा.	पुणे - महाराष्ट्र मो.न. 7756090216, 9763001138

  
10.9.18

Page 1 of 7

दूरभाष (0734) 2502266, 2502254, 2502255 फैक्स (0734-2502253)

E-mail : msrvvpjn@gmail.com, website : www.msrvvp.ac.in

4	श्री किरण चन्द्रकांत पाठक	शु.यजु.माध्य. शा.	लातूर - महाराष्ट्र मो.न. 0992201956
5	श्री धनन्जय विश्वनाथ जोशी	शु.यजु.माध्य. शा.	नासिक - महाराष्ट्र मो.न. 9881626358
6	श्री लक्ष्मीकांत सुधाकर उन्हाले	शु.यजु.माध्य. शा.	परभणी - महाराष्ट्र मो.न. 9096759495, 7058335670
7	श्री जयप्रकाश पाठक	शु.यजु.माध्य. शा.	अनुप्पुर - मध्यप्रदेश मो.न. 8465938196, 8328303770
8	श्री विपुल शर्मा	शु.यजु.माध्य. शा.	उज्जैन - म.प्र. मो.न. 8605858652
9	श्री रोहित कुमार मिश्र	शु.यजु.माध्य. शा.	लखनऊ - उ.प्र. मो.न. 7388060885
10	श्री विजय हेमंत भालेराव	शु.यजु.माध्य. शा.	पुणे - महाराष्ट्र मो.न. 9096555954

ऋग्वेद शाकल शाखा [ चयन सूची ]

क्र.	नाम	वेद एवं शाखा	पत्राचार पता
1	श्री करि संतोष कुमार	ऋग्वेद शाकल शा.	Mysore Mob.No. 9900082066
2	श्री ए. चिन्मय दत्त	ऋग्वेद शाकल शा.	Mysore Mob.No. 9900082072
3	श्री सत्यजित मालखरे	ऋग्वेद शाकल शा.	अहमदाबाद मो.न. 7559284936, 7620533125
4	श्री धीरज खलिकर	ऋग्वेद शाकल शा.	पुणे - महाराष्ट्र मो.न. 9021820475
5	श्री श्रीपाद जोशी	ऋग्वेद शाकल शा.	सातारा - महाराष्ट्र मो.न. 9403813195

विभागा

6	श्री आर. लक्ष्मण	ऋग्वेद शाकल शा.	Trichy (T.N.) मो.न. 7358593327
---	------------------	--------------------	-----------------------------------

कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय शाखा [ चयन सूची ]

क्र.	नाम	वेद एवं शाखा	पत्राचार पता
1	श्री डी. हनुमत प्रसन्न	कृष्ण यजु. तै.शा.	Mysore Mob.No. 9900082077
2	श्री के.एन. साईनाथ	कृष्ण यजु. तै.शा.	Chromepet - Chennai Mob.No.8939904008
3	श्री जी. विशाल दत्त	कृष्ण यजु. तै.शा.	Mysore Mob.No.9632122662
4	श्री टी.एम. भरतरामन	कृष्ण यजु. तै.शा.	Sirugamani, Trichy Mob.No.9500728837,8098922388
5	श्री एच.बी.एस. हरिवल्लभ	कृष्ण यजु. तै.शा.	Mysore

अथर्ववेद शौनक शाखा [ चयन सूची ]

क्र.	नाम	वेद एवं शाखा	पत्राचार पता
1	श्री रितेश कुलकर्णी	अथर्ववेद शौ.शा.	कर्नाटक - गोकर्ण Mob.No. 9742470632
2	श्री कडियाल सूर्यनारायण	अथर्ववेद शौ.शा.	Mysore Mob.No. 9900082068

सामवेद कौथुम शाखा [ चयन सूची ]

क्र.	नाम	वेद एवं शाखा	पत्राचार पता
1	श्री आर.चन्द्रमौली श्रौतीगल	सामवेदकौथुम शा.	Tirvnallur T.N. Mob.No. 09444014703
2	श्री के. चैतन्य कुमार शर्मा	सामवेदकौथुम शा.	Mysore Mob.No.8971639924,9900082074



3. उत्तरपूर्वी राज्य हेतु अभ्यर्थियों सूची निम्नानुसार है :-

[ उत्तरपूर्वी राज्य ] शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा [ चयन सूची ]

क्र.	नाम	वेद एवं शाखा	पत्राचार पता
1	श्री लेखनाथ धिमिरे	शु. यजु. माध्य. शा.	ग्राम- गधरीया बस्ति पो. गमिरि जिला विश्वनाथ (आसाम)-784172 मो.न. 8349834034
2	श्री लीलाराम गौतम	शु. यजु. माध्य. शा.	चम्पासरी मिलन गोद, सिलिगुडी जि. दार्जिलिंग [मो.न.-9796899912]

[ उत्तरपूर्वी राज्य ] सामवेद जैमिनीय एवं कौथुम शाखा [ चयन सूची ]

क्र.	नाम	वेद एवं शाखा	पत्राचार पता
1	श्री ए. हरि कुलकर्णी	सामवेद जैमिनीय	दर्शनम् संस्कृत महाविद्यालय, छारोडी अहमदाबाद मो.न. 08682068081

चयनित अभ्यर्थी अपने समस्त मूल दस्तावेजों के साथ दिनांक 20 एवं 21 सितम्बर, 2018 को प्रतिष्ठान कार्यालय में उपस्थित रहें। उपस्थित न होने पर चयन निरस्त माना जायेगा। यात्रा व्यय का भुगतान प्रतिष्ठान द्वारा नहीं किया जायेगा।

2. वेद गुरु के रूप में अध्यापन व्यवस्था के लिए मानदेय

म.सां.रा.वे.वि.प्र. द्वारा प्रति माह 10,000 /- रुपये (वृद्धि की सम्भावना है) मानदेय का भुगतान किया जाएगा। चयनित वेद गुरु को अपनी बैंक पासबुक की छायाप्रति लाना अनिवार्य है।

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान द्वारा गुरु-शिष्य परम्परा योजना के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त होने पर किसी अन्य शासकीय/सरकारी स्रोत से इसी उद्देश्य के लिए आप अनुदान प्राप्त नहीं करेंगे।



### 3. गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयों के अन्तर्गत वेद-गुरु के रूप में कर्तव्य

- चयनित गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयों को महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान की गुरु-शिष्य परम्परा योजना नियमावली के अन्तर्गत इकाई का संचालन करना होगा।
- गुरु-शिष्य परम्परा इकाई के अन्तर्गत अध्यापन में निरत प्रत्येक वेद-गुरु को वेद की मौखिक परम्परा में वेद-भूषण (5 वर्ष) और वेद विभूषण (2 वर्ष) नामक कुल सात वर्षीय पाठ्यक्रम प्रणाली के लिए या तो गुरु के निवास पर या वेद-गुरु द्वारा अपने विवेकाधिकार पर चुने गए किसी अन्य स्थान पर अधिकतम 10 छात्रों को वेद के स्वर अध्यापन (कोई भी वैदिक परम्परा के अनुसार शाखाओं में से एक) पढ़ाना होगा। म.सां.रा.वे.वि.प्र. प्रत्येक कोई किराया / पट्टा राशि का भुगतान नहीं करेगा।
- सात वर्षीय पाठ्यक्रम प्रणाली में सस्वर वेद अध्यापन कराना तथा परीक्षा के लिए 10 छात्रों को तैयार करना वेद गुरु की पूर्ण जिम्मेदारी रहेगी और छात्रों के समग्र व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार आधुनिक विषयों में भी म.सां.रा.वे.वि.प्र. की परीक्षा के लिए 10 छात्रों को भी तैयार कराना होगा।
- छात्रों को अपने अधीन अध्यापन हेतु अङ्गीकार के बाद और सात साल तक अध्ययन पूरा किए बिना, सस्वर वेद अध्ययन के मध्य में वेद छात्रों को वेद गुरु नहीं छोड़ सकते। किसी भी परिस्थिति में क्षेत्र परिवर्तन या स्थानांतरण कभी भी स्वीकार्य नहीं होगा।
- वेद गुरु को अपने छात्रों द्वारा वेदों की मौखिक परंपरा को सीखने की समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
- प्रतिष्ठान द्वारा सूचित किए जाने पर सम्मेलन एवं संगोष्ठी में सम्मिलित होना अनिवार्य है।



4. गुरु- शिष्य परम्परा योजना के अन्तर्गत म.सां.रा.वे.वि.प्र. की जिम्मेदारी

- (1) म.सां.रा.वे.वि.प्र. 84 महीने के लिए वेद गुरु को प्रत्येक वेद छात्र के रखरखाव (भोजन, आवास, कपड़े इत्यादि) व्यय के लिए प्रति माह-गणना के अनुसार प्रति छात्र रु 1500 /- (वृद्धि की सम्भावना है) नियमित- उपस्थिति और परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर कुछ शर्तों के अधीन - वैदिक अध्ययन आदि में संतोषजनक प्रगति के आधार पर प्रतिपूर्ति / भुगतान करेगा।
- (2) उपर्युक्त भुगतान वेद गुरु के बैंक खाते में PFMS के माध्यम से किया जाएगा और उसे गुरु के लिए वैदिक परंपरा के नियम के अनुसार भोजन, आवास, कपड़े इत्यादि की व्यवस्था करनी होगी।
- (3) म.सां.रा.वे.वि.प्र. प्रत्येक महीने में, प्रत्येक वेद छात्र के स्व-व्यय हेतु प्रति माह-गणना के अनुसार रु 500/- (वृद्धि की सम्भावना है) - नियमित- उपस्थिति और परीक्षा में उत्तीर्ण होने और संतोषजनक प्रगति इत्यादि कुछ शर्तों के अधीन, छात्र-अभिभावक के संयुक्त बैंक खाते में PFMS के माध्यम से ही भुगतान करेगा।
- (4) म.सां.रा.वे.वि.प्र. वेद की मौखिक परंपरा में वेद के सस्वर सीखने के साथ (वेदिक परंपरा के अनुसार शाखाओं में से कोई भी) वेद-भूषण (5 वर्ष) और वेद विभूषण (2 वर्ष) नामक सात साल के पाठ्यक्रम की परीक्षा आयोजित करेगा।
- (5) म.सां.रा.वे.वि.प्र. की प्रक्रिया के अनुसार ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर वेद गुरु / छात्र की जांच, पृच्छताछ, गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयों से निष्कासित या प्रतिस्थापन करने की सभी शक्तियां प्रतिष्ठान के पास होंगी।
- (6) गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयों के सन्दर्भ में गुरु ही इनके संचालन के लिये पूर्ण जिम्मेदार हैं। इसमें प्रतिष्ठान का सीधा हस्तक्षेप नहीं है। प्रतिष्ठान का वेद अध्ययन के लिये सहायता प्रदान करने

के अतिरिक्त इन गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयों से दिन-प्रतिदिन संचालन में कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। यदि इकाइयों में कोई अवैधानिक गतिविधियां होती हैं अथवा कोई अनुचित या अप्रिय घटना घटती है तो उसके लिये सीधी जिम्मेदारी इकाइयों के गुरु की है। इस सम्बन्ध में कोई लिखित सूचना/शिकायत प्रतिष्ठान को प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी।

(7) इकाइयों के वेदाध्यापक बाल संरक्षण अधिनियम का अध्ययन कर छात्रों के रख-रखाव/पालन-पोषण में बाल संरक्षण अधिनियम के नियमों का पालन करेंगे।

(8) छात्रों को दिए जाने वाले भोजन में पोष्टिकता का ध्यान पूर्णरूप से रखा जाना चाहिए।

  
सचिव 10/9

म.सां.रा.वे.वि.प्र., उज्जैन